समाचार

मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 11500 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा 22 मार्च 2021 –कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 11500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेकने वालों पर भी निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा आज 11500 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया। कोरबा जोनांतर्गत 1200 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1500 रूपये, बालको जोनांतर्गत 800 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 800 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 400 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार कोसाबाड़ी एवं रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत मास्क न पहनने वालों पर 1300 रूपये का अर्थदण्ड लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने व सार्वजनिक स्थानों में कचरा फैलाने पर 5000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

23 मार्च को 08 स्थानों पर लगेंगे स्वास्थ्य शिविर– मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनांतर्गत 23 मार्च को मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निगम के 08 वार्डो में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च को वार्ड क्र. 08 इमलीडुग्गू सामुदायिक मंच, वार्ड क्र. 17 खटखटियापारा आंगनबाड़ी, वार्ड क्र. 29 पोड़ीबहार सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 34 फायर कालोनी, वार्ड क्र. 45 डांडपारा सामुदायिक भवन, वार्ड

क्र. 50 पावरसिटी गेट के पास, वार्ड क्र. 55 बलगीखार एवं वार्ड क्र. 60 गेवरा बस्ती सामुदायिक मंच के पास चलित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।